जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237

ई–मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

क्रमांकः–एफ 17/14( )/आर.टी.आई./प्रथम अपील/2025/1533 दिनांकः 26/05/2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा–19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
अपील संख्या–04/2025

श्री संतोष कुमार जैन,
पताः–बी–140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, — अपीलार्थी
जिला–अलवर 302002 राजस्थान।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं
अति. संभागीय आयुक्त, — प्रत्यर्थी
उदयपुर।

निर्णय

उक्त अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (लोक सूचना अधिकारी) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2025 पर सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर को दिनांक 01.05.2025 को प्रस्तुत की गई।

1. प्रार्थना पत्र एवं अपील का विवरण :–

क्र.स.		
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक	18.01.2025
2.	प्रार्थना पत्र का जबाब/सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक	11.02.2025
3.	लोक सूचना अधिकारी, जिसने जबाब प्रेषित किया/किया जाना है	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
4.	प्रथम अपील प्राप्ति दिनांक (संभागीय आयुक्त, उदयपुर में)	05.05.2025
5.	प्रथम अपील सुनवाई दिनांक	14.05.2025
6.	प्रथम अपील निर्णय दिनांक	26.05.2025

कार्यालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्किल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237

ई–मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.12.2024 से निम्न सूचना चाही गई –

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना
1.	कृपया यह जानकारी प्रदान करने का कष्ट फरमाये कि आपका संभागीय आयुक्त कार्यालय एक कार्यालय है अथवा एक विभाग हैं। यदि आपका संभागीय आयुक्त कार्यालय एक विभाग हैं तो आपके कार्यालय के विभाग के नाम से अवगत करावे। यदि संभागीय आयुक्त कार्यालय एक कार्यालय ही है तो आपका कार्यालय किस विभाग के अन्तर्गत आता है एवं उस विभाग का विभागाध्यक्ष कौनसा उच्चाधिकारी हैं कृपया उसका पद नाम से अवगत कराने का श्रम फरमायें।
2.	यह भी जानकारी प्रदान करने का कष्ट फरमायें कि आपके कार्यालय का नियमित रूप से कौन सा उच्चाधिकारी/विभाग वार्षिक, समय–समय पर निरीक्षण करता हैं। उस उच्चाधिकारियान के पदनामों से अवगत कराने का मात्र श्रम फरमायें।
3.	कृपया यह भी जानकारी प्रदान करने का कष्ट फरमाये कि आपके कार्यालय का मुख्यालय पर पदस्थापित एवं आपके अधीनस्थ एक जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आपके कार्यालय का किसी भी समय/किसी भी दिन आकस्मिक निरीक्षण कर सकता है अथवा नहीं।
4.	कृपया यह भी जानकारी प्रदान करने का कष्ट फरमायें कि आपके कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी एवं सर्वप्रथम आपके कार्यालय में अधीनस्थ मंत्रालियक संवर्ग के कर्मचारियान यथा कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक इत्यादि किन–किन कार्यालय से पदस्थापित हुये हैं, उन सभी के पदस्थापन आदेशों की प्रतियां भिजवाने का श्रम फरमायें।
5.	आपके कार्यालय में दिनांक 31.08.2020 एवं सूचना भिजवाने कि दिनांक को मंत्रालियक संवर्ग के कुल कितने कितने पद स्वीकृत/आवंटित थे / हैं। (कनिष्ठ सहायक / वरिष्ठ सहायक / सहायक प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी / संस्थापन अधिकार) उक्त दोनों तिथियों को स्वीकृत / आवंटित प्रत्येक पद कितने कितने भरे हुये थे / हैं, एवं कितने कितने दोनों तिथियों को रिक्त चल रहे हैं/ थे। दोनो तिथियों में रिक्त चल रहे प्रत्येक पदों के प्रमोशनों में तत्समय / वर्ममान में क्या एवं किस तरह की परेशानी / समस्ये आ रही है/ थी से अवगत कराने का श्रम फरमायें।
6.	कृपया आपके कार्यालय में दिनांक 01.04.2015 से सूचना भिजवाने की दिनांक तक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन अधिकारी के पदों पर मंत्रालियक संवर्ग के कर्मचारियों की हुई /की गई/करवाई गई पदौन्नतियों की पूर्ण पत्रावली मय नोट शीट की एक प्रति भिजवाने का श्रम फरमायें।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार
कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर
1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

7.	कृपया यह भी जानकारी प्रदान करने का कष्ट फरमायें कि आपके कार्यालय में पदस्थापित / कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/प्रशानिक अधिकारी / संस्थापन अधिकारियों का यदि आवश्यक / जरूरी महसूस होता है तो उनका स्थानान्तरण, निलम्बन, बर्खास्तगी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कौन सा उच्चाधिकारी सक्षम हैं कृपया मात्र पदनाम से ही अवगत कराने का श्रम करें।
8.	कृपया यह भी जानकारी प्रदान करने का कष्ट फरमाये कि एक राजपत्रित अधिकारी के पद मात्र संभाग स्तर का पद अथवा जिला स्तर का पद होना सम्भव है अथवा नहीं।
9.	कृपया यह भी प्रदान जानकारी करने का कष्ट फरमाये कि आपके कार्यालय में मात्र कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के न्यून मात्रा में पद स्वीकृत/आवंटित होने के बावजूद पूर्णतया नियमों के विपरीत, नॉर्म्स के विरूद्ध एवं वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की आज्ञा/आदेश के विरूद्ध किस तरीके से, किन प्रयासों से आपके कार्यालय को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी का एक–एक पद स्वीकृत/आवंटित हो गया है। इस बारे में आप द्वारा राज्य सरकार, राजस्व मण्डल अजमेर एवं राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर अथवा अन्य किसी भी विभाग / उच्चाधिकारियान से हुये पद आवंटन हेतु समस्त पत्रादि की एक–एक प्रति भिजवाने का श्रम फरमायें।।

अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. प्रकरण का निर्णयः–

अपील प्राप्त होने के पश्चात अपील दर्ज की गई एवं अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को नोटिस दिनांक 08.05.2025 से सुनवाई दिनांक 14.05.2025 को उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी जरिए विडियो लिंक उपस्थित एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर उपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का जबाव दिनांक 12.05.2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है।

लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.01.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कुल 09 बिन्दुओं की सूचना 48 घण्टें में चाही गई। चूंकि चाही गई सूचना व्यक्ति के जीवन एवं स्वतन्त्रता से संबंधित नही थी, अतः प्रार्थी को पत्र दिनांक 19.01.2025 से सूचित किया कि आप द्वारा चाही गई सूचना जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित नही है तथा सूचना उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा 30 दिवस है। इसके पश्चात प्रार्थी को पत्र दिनांक 11.02.2025 से सूचित किया कि आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है तथा आप द्वारा चाही गई सूचना व्यावाहारिक दृष्टि से अनुकूल नही है, क्योकि चाही गई सूचना में कार्यालय/अनुभाग के लगभग समस्त अभिलेख सूचना में समाहित हो रहे है तथा साथ ही सूचित किया कि बिन्दु संख्या–5

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237

ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

की सूचना कुल 5 पृष्ठों में है। इस हेतु आप नियमानुसार कुल 10 रूपये प्रतिलिपि शुल्क जमा करावे तथा शेष सूचना हेतु कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते है तथा जिसमें चिन्हित दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये जायेगें। इस हेतु पुनः पत्र दिनांक 02.04.2025 से नियमानुसार शुल्क जमा कराने एवं कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों का निरीक्षण एवं चिन्हिकरण हेतु सूचित किया गया परन्तु अपीलार्थी ने उक्त कार्यवाही नही कर प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः प्रथम अपील खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं अपील का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रथम अपील में अंकित किया है कि अपीलार्थी सेवानिवृत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी है तथा उसके बकाया 02 पदोन्नति के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में लम्बित (एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या–7787/2022 संतोष कुमार जैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य) प्रकरण हेतु सूचनाओं की आवश्यकता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(1) के अनुसार सूचना प्राप्त होने अथवा सूचना प्राप्ति की अवधि समाप्ति से 30 दिवस के भीतर व्यथित व्यक्ति प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है। जबकि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दू संख्या 5 की सूचना 05 पृष्ठों की होने से नियमानुसार शुल्क जमा कराने एवं अन्य बिन्दुओं के संदर्भ में कार्यालय का रिकोर्ड अवलोकन/निरीक्षण करने का पत्र दिनांक 11.02.2025 प्रेषित किये जाने के बावजूद ना तो नियमानुसार शुल्क जमा कराया ना ही रिकोर्ड का अवलोकन कर दस्तावेज का चिन्हिकरण किया बल्कि लगभग 75 दिवस के पश्चात प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा कार्यालय के लगभग सभी कार्मिकों से संबधित एवं अत्यन्त विस्तृत सूचना तथा अधिकारी से अपने प्रश्नो का जबाव चाहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–6(1)(ख) के अनुसार आवेदन पत्र में चाही गई सूचना की विशिष्टियॉ अंकित करना अपेक्षित है, जबकि प्रार्थी द्वारा विशिष्टिविहीन एवं प्रश्नों के जबाव तथा अत्यन्त विस्तृत सूचना चाही है। साथ ही दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात चिन्हीकरण किए जाने के लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध को भी नहीं माना है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा स्वयं के न्यायिक प्रकरण में उपयोग हेतु कार्यालय के समस्त कार्मिकों की सूचना चाही है, जिसमें किसी भी प्रकार का विस्तृत लोकहित/व्यापक हित निहित नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विशिष्टिविहीन, अत्यन्त विस्तृत एवं प्रश्नात्मक होने से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत देय नही है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील संख्या–RIC/BARA/A/2024/012156 में दिनांक 04.11.2024 से भी निर्णीत किया है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1)(बी) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियॉ अंकित करना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 7(9) के तहत विस्तृत सूचना देय नहीं है। अधिनियमानुसार, सामग्री से निष्कर्ष निकाल कर, तथ्यों को खोजकर, आवेदक को उपलब्ध कराये जाने की अध्यापेक्षा लोक सूचना अधिकारी से नही की जा सकती है।"

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237

ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आज दिनांक 26.05.2025 को खारिज की जाती है।

अगर अपीलार्थी उक्त आदेश से असंतुष्ट है तो माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना डूंगरी जयपुर में 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी) IAS
संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

प्रतिलिपिः–

1. श्री संतोष कुमार जैन, पताः–बी–140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी,जिला–अलवर 302002 राजस्थान।
2. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)